न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 37 / 2021

अनवान :–

1. बलवीर पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. भागमल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर ।
2. शेरसिह पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
3. शारदा पत्नी इन्द्रजीत जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
4. अकाशां 5. लक्ष्मी उर्फ रूकमणी 6. शिवम ,7. शिवानी ,8. सुमन पुत्री इन्द्रजीत नाबालिग जरिये कुरदती बली संरक्षिका माता शारदा पत्नी इन्द्रजीत जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–असल गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 07/12/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रशासन गावं के संग अभियान कैम्प थालडका में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि

चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 191 / 141 के कुल 5.0680हैक भूमि सायल व गैरसायल के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

रोही मोजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 143 / 140 की कुल 0.8855हैक गैरसायल संख्या 3 ता 8 के बहिब राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

रोही मोजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 191 / 191 की कुल 5.0680हैक में सायल व गैरसायलान को स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है जिससे सायल एवं गैरसायलान को भारी परेशानी होती है।

सायल अपने गावं राजपुरिया से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 4 ता 6 की रोही मौज चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 143 / 140 के प0न0 364 / 407(24) के किला न0 21 मिन दक्षिण की 0.015हैक व किला न0 22 के मिन दक्षिण की 0.0153हैक में से होते हुए सायल व गैरसायल की भूमि रोही मोजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 191 / 141 के प0न0 364 / 407(24) के किला न0 23 के मिन दक्षिण की 0.0153हैक , किला न0 24 मिन दक्षिण की 0.0153हैक व किला न0 25 / 1 के मिन दक्षिण की0.013हैक में से होकर सायल अपने खेत प0न0 364 / 407(24) के किला न0 16 ,17 में प्रवेश करते है यही सुविधाजनक रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायल का उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है।

सायल एवं गैरसायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है यही रास्ता सुविधाजनक है प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिये उक्त रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 4 ता 6 की रोही मौज चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 143 / 140 के प0न0 364 / 407(24) के किला न0 21 मिन दक्षिण की 0.015हैक व किला न0 22 के मिन दक्षिण की 0.0153हैक में से होते हुए सायल व गैरसायल की भूमि रोही मोजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 191 / 141 के प0न0 364 / 407(24) के किला न0 23 के मिन दक्षिण की 0.0153हैक ,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किला न0 24 मिन दक्षिण की 0.0153हैक्‍ व किला न0 25/1 के मिन दक्षिण की0.013हैक्‍ रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त गैरसायलान संख्या 1 ता 8 अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता गैरसायल संख्या 1 ता 8 देने को तेयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है क्योकि सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता सायल एवं गैरसायल दोनो के उपयोग का रास्ता है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है। सायल एवं गैरसायल दोनो आपसी सहमति से रास्ता स्वीकार करवाना चाहते है इसलिये रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि की मांग नही की गई है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 4 ता 6 की रोही मौज चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 143/140 के प0न0 364/407(24) के किला न0 21 मिन दक्षिण की 0.015हैक्‍ व किला न0 22 के मिन दक्षिण की 0.0153हैक्‍ व रोही मोजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 191/141 के प0न0 364/407(24) के किला न0 23 के मिन दक्षिण की 0.0153हैक , किला न0 24 मिन दक्षिण की 0.0153हैक्‍ व किला न0 25/1 के मिन दक्षिण की0.013हैक भूमि में रास्ता स्वीकार किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... .परलीका

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / दिनांक

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 1 सन 2021 निर्णय दिनांक

अनवान :–

अनवान :–

1. बलवीर पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1 भागमल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर ।
2. शेरसिह पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
3. शारदा पत्नी इन्द्रजीत जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
4. अकाशां 5. लक्ष्मी उर्फ रूकमणी 6. शिवम ,7. शिवानी ,8. सुमन पुत्री इन्द्रजीत नाबालिग जरिये कुरदती बली संरक्षिका माता शारदा पत्नी इन्द्रजीत जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–असल गैरसायल

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौज चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 143 / 140 के प0न0 364 / 407(24) के किला न0 21 मिन दक्षिण की 0.0153हैक्‍ व किला न0 22 के मिन दक्षिण की 0.0153हैक्‍ व रोही मोजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 191 / 141 के प0न0 364 / 407(24) के किला न0 23 के मिन दक्षिण की 0.0153हैक्‍ , किला न0 24 मिन दक्षिण की 0.0153हैक्‍ व किला न0 25 / 1 के मिन दक्षिण की0.013हैक्‍ भूमि में रास्ता स्वीकार किया गया है आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर